

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

गोपाल बनाम् भोलाराम वगै०

किस्म मुकदमा:- इजराय

मुकदमा नम्बर:- 16 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
16.05.2018	<p>वकील डिक्रीदार ने उपस्थित होकर इजराय पेश की। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना अपीलीय/अन्य किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.06.2018 को पेश हो।</p> <p>Gm-</p>	
17.06.2021	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। प्रकरण में राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 1158 दिनांक 25.06.2018 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>गुपाराम इजराय आदेश की पालना में नामा. सं. - 1158/डि. 25.06.18 दरामद व कमला दरामद किया गया / EW 12.02.2021 (राज पैरोकार, ना० तहसीलदार SMPR)</p>

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

